निदेशक की ओर से अनुरोध

प्रिय साथियो
नमस्कार!

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। अतएव हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें।

मैं संस्थान में राजभाषा हिंदी के उपयोग को लेकर अत्यंत सजग हूँ। इसका कारण मात्र प्रशासनिक उत्तरदायित्व ही नहीं है, अपितु अपनी भाषा के प्रति एक स्वाभाविक भावनात्मक लगाव भी है। हिंदी के प्रति यह लगाव राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन संबंधी मेरे प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को भी अधिक सफल और कारगर बनाता है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा के प्रति एक आदरभाव रखता ही है। हिंदी अपने देश के एक बड़े भू-भाग में बोली जाती है, यही कारण है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह हिंदी ही है जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सभी को जोड़कर रखने का कार्य करती रही। हिंदी सच्चे अर्थों में हमारे देश के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती रही है। यही कारण है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए निदेश दिए गए ताकि वह देश की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

भारतीय संविधान की उपर्युक्त भावना के अनुरूप तथा राजभाषा संबंधी विभिन्न नियम-अधिनियमों, आदेशों के अनुपालन के लिए और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक और यथासंभव शत-प्रतिशत प्रयोग करें। हिंदी अपनी भाषा है, इसके प्रयोग में झिझक न करें।

जय हिंद, जय भारत।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

14 सितम्बर, 2026
हिंदी दिवस
रास्वापक. संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. बिनोद कुमार पात्रो
निदेशक